प्रेस नोट **दिनांक 09.02.2026**

जमीन दिलाने के नाम फ्राड की गयी 150,000/- रु0 कुल धनराशि (एक लाख पच्चास हजार) रुपये थाना रानीपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना रानीपुर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए जमीन दिलाने के नाम फ्राड की गयी 150,000/- रु0 कुल धनराशि (एक लाख पच्चास हजार रुपये) पीडित हरिशंकर शर्मा पुत्र स्व0 शीरू शर्मा निवासी ग्राम महमूदपुर पोस्ट नगपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ । आवेदक के कुल धनराशि 150,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना रानीपुर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता-

1. उ0नि0 रामाज्ञा कुमार थाना रानीपुर जनपद मऊ ।
2. म0उ0नि0 सुधा अग्रहरि थाना रानीपुर जनपद मऊ ।
3. क0आ0 अब्दुल रब थाना रानीपुर जनपद मऊ ।
4. म0आ0 प्रियंका मिश्रा थाना रानीपुर जनपद मऊ ।

हत्या के संबंध में वांछित 02 अभियुक्ता गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनांक 09.02.2026 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर सिरसिया मोड़ के पास में मु0अ0स0 45/26 धारा 3(5)115(2),352,351(2),103(1) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तागण 1. सुनीता पत्नी विवेन्द्र निवासी खान्तिया थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 38 वर्ष, 2. रमावती पत्नी स्व0 केदार निवासी खन्तिया थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 62 वर्ष को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

बिवरण- दिनांक 06.02.2026 को प्रार्थिनी श्रीमती संगीता देवी पत्नी रामभवन यादव ग्राम खन्तिया थाना घोसी जनपद मऊ के पति रामभवन को विपक्षीगण। विजेन्द्र यादव पुत्र स्व0 केदार यादव 2. रामजीत पुत्र बिजेन्द्र यादव 3. सुनीता पत्नी विजेन्द 4 रमावती पत्नी स्व0 केदार निवासीगण निवासीगण ग्राम खन्तिया थाना घोसी जनपद मऊ आये दिन गाली गुप्ता देना, मना करने पर लाली डंडा व चाकू से मारना पीटना व जान से मारने

की धमकी देना जिससे वादिनी संगीता देवी के पति रामभवन यादव गम्भीर रूप से घायल होने व श्यामा हांस्पिटल आजमगढ़ में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के संबंध में थाना घोसी पर मु0अ0स0 45/26 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(2), 103(1) बीएनएस पंजीकृत था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सुनीता पत्नी विजेन्द्र निवासी खन्तिया थाना घोसी जनपद मऊ।
2. रमावती पत्नी स्व0 केदार निवासी खन्तिया थाना घोसी जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 45/26 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(2), 103(1) बीएनएस

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम-

1. प्र0 नि0 प्रमेन्द्र कुमार
2. नि0 अप0 मोतीलाल पटेल
3. का0 डब्लू सिंह
4. का0 ऋषिकेश
5. म0का0 पुष्पलता पाण्डेय
6. म0का0 बबली पाण्डेय

07 नफर वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में बिभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरियें मुखबिर की सूचना पर थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त केशव पुत्र बाबूराम 2. राकेश पुत्र बाबूराम 3. राजेन्द्र यादव निवासी भेड़ियाधर 4. जितेन्द्र पुत्र श्यामबली निवासी ताजपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ, थाना कोतवालीनगर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त 1. रामअवध यादव पुत्र विश्वनाथ यादव 2. राजेन्द्र यादव पुत्र रामअवध यादव निवासीगण बड़ा पोखरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ, व थाना रानीपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त प्रमोद तिवारी पुत्र रामप्यारे तिवारी निवासी नगपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल बितायी गयी अवधि की सजा व ₹1000 अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय एसपीएल प्रथम एससी/एसटी कोर्ट मऊ द्वारा दिनांक 09-02-2026 को मु0अ0सं0 174/1994 धारा

323,504,506,279,426 भा0द0वि0 व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर में दोषसिद्ध अभियुक्त मुन्ना राय उर्फ अजय कुमार पुत्र स्वर्गीय विद्याधर राय निवासी बेला सुल्तानपुर थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व ₹1000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 01 माह का सश्रम कारावास से दंडित किया जायेगा।

प्रतिबंधित चाइनीज़ माँझा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से कुल 1980 अदद रोल बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ, श्री इलामारन जी के निर्देशन में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के बिक्री के विरुद्ध अभियान अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के कुशल नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 09.02.2026 को अभियान के अंतर्गत चैकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा न्याज पतंग सेंटर सदर चौक बांस की मस्जिद के बगल चोरी-छिपे गोपनीय तरीके से प्रतिबंधित नायलॉन/सिंथेटिक मांझे (चाइनीज मांझा) की बिक्री और भंडारण करने की सूचना प्राप्त हुई उक्त सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्त वसीम अहमद पुत्र न्याज़ अहमद नि0 सदर चौक बाँस की मस्जिद थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 23 वर्ष को मय प्रतिबंधित चाइनीज़ माँझा के कुल 1980 पीस के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. वसीम अहमद पुत्र न्याज़ अहमद नि0 सदर चौक बाँस की मस्जिद थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 23 वर्ष

बरामद सामग्री का विवरण:-

1. चाइनीज़ माँझा रोल 18X30= 540 पीस, 80X12= 960 पीस, 80X6= 480 पीस कुल 1980 पीस कीमती करीब 1 लाख रूपये

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु.अ.सं. 47/26 धारा 223B, 125, 293 BNS व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 थाना कोतवाली नगर , जनपद मऊ

गिरफ्तारी व बरामदगी टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. उ0नि0 सुनील कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. हे0का0 रणजीत यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. का0 अमरेश कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
5. का0 राधेश्याम थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
6. का0 कमलेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
7. म0का0 दामिनी सरोज थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ